उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या- 5194 - गोपन-06/पा०का०लि/ 04(01)सार-96 दिनांक 19-09-2025

प्रबंध निदेशक, **अति-महत्त्वपूर्ण**

पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/ट्रांसमिशन,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/लखनऊ, एवं
केस्को, कानपुर।
[md@puvvnl.in/md@mvvnl.org/md@dvvnl.org/
md@pvvnl.org/mdkesco@kesco.org.in/md@upptcl.org]

विषय:- निगम स्तर से अभियंता एवं गैर अभियंता अधिकारियो एवं अवर अभियंताओ के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों की प्रति कारपोरेशन को प्रेषित/पृष्ठांकित करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप विदित है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी वितरण निगमों व उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में कार्यरत अभियंता एवं गैर अभियंता अधिकारियों एवं अवर अभियंताओ के सम्बन्ध में निगम स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही संपादित की जाती है एवं अभियंता एवं गैर अभियंता अधिकारियों एवं अवर अभियंताओ की चरित्र पंजिका कारपोरेशन में सम्बंधित कार्यालयों यथा (अभियंता एवं गैर अभियंता अधिकारियों हेतु गोपन अनुभाग) एवं (अवर अभियंताओ हेतु मुख्य अभियंता हाईडिल कार्यालय) में संरक्षित रहती है |

कतिपय प्रकरणों में कारपोरेशन में यह संज्ञान में आया है कि वितरण निगमो द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरांत प्रदत्त दंड आदेश , प्रशासनिक कार्यवाही में प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टियो के आदेश एवं कार्मिको से प्रत्यावेदन प्राप्त होने अथवा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत प्रदत्त दण्डो को विलोपित अथवा यथावत रखे जाने सम्बन्धी आदेश कारपोरेशन में सम्बंधित कार्यालयों को प्रेषित / पृष्ठांकित नहीं किये जाते है जिस कारण कारपोरेशन में वे आदेश कार्मिक की चरित्र पंजिका में अवस्थित नहीं हो पाते है | जिस कारण कार्मिको के सम्बन्ध में होने वाली चयन प्रक्रिया यथा विनियमितीकरण , स्थायीकरण , वित्तीय स्तरोंयन (ए०सी०पी) , प्रोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति में अन्यत्र विभागों में भेजे जाने वाली सूचना त्रुटिपूर्ण होने के दृष्टिगत सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है|

अत: उपरोक्त के दृष्टिगत , निगम स्तर पर अभियंता एवं गैर अभियंता अधिकारियो के सम्बन्ध में निर्गत निम्नांकित आदेशों को उपसचिव (गोपन), शक्ति भवन मुख्यालय को ई-मेल **ds.gopan@uppcl.org/ gopan06@uppcl.org** एवं अवर अभियंताओ हेतु निर्गत आदेशो को मुख्य अभियंता (हाईडिल), शक्ति भवन मुख्यालय को ई मेल आई०डी **ce.hydel@uppcl.org** पर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें:-

(1) अनुशासनिक कार्यवाहियों में प्रकरण समाप्ति के उपरान्त कार्मिक को निगम स्तर से प्रदत्त दंड / दोषमुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश।

(2) अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में कार्मिक द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण अथवा न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशो के उपरान्त कार्मिक को निगम स्तर से प्रदत्त दंड के समाप्त /यथावत रखे जाने सम्बन्धी आदेश।

(3) कार्मिक को निगम स्तर से प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टि/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश।

(डॉ० जॉन मथाई)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः 5194-गोपन-06/पाकालि/25-05-सा0गो0/2020 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष , उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. निजी सचिव, निदेशक (का०प्र०एवं प्रशा०)/ निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक (वितरण)/ निदेशक (पारेषण)/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक (तकनीकी)/ निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग)/ निदेशक (कार्य एवं परियोजना)/ निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. निजी सचिव, निदेशक (का०प्र०एवं प्रशा०), मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/ पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/ पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, मेरठ/ दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा/ केस्को, कानपुर।
5. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन मुख्यालय स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को समस्त अधिकारियों को संज्ञानार्थ प्रेषित किये जाने हेतु उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

(आर०पी० सिंह)
अपर सचिव (द्वितीय)